

ऑस्ट्रेलिया ने हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यरपण संधि निलिंबिति की

प्रीलमिस के लिये:

प्रत्यरपण अधिनियम- 1962

मेन्स के लिये:

भारत-हॉन्गकॉन्ग संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग में लगाए गए '[राष्ट्रीय सुरक्षा कानून](#)' की प्रतक्रिया में हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यरपण संधि को निलिंबित कर दिया है।

प्रमुख बांदिः:

- हॉन्गकॉन्ग चीन का एक 'वशीष प्रशासनकि क्षेत्र' (Special Administrative Regions-SAR) है।
- यह 'बेसिक लॉ' (Basic Law) नामक एक मनी-संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की '[एक देश, दो प्रणाली](#)' के सदिधांत की पुष्टि करता है।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यरपण संधिलागू की गई थी।



प्रत्यरपण (Extradition):

- प्रत्यरपण कसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारकि प्रकरया है जो कसी व्यक्तिको कसी दूसरे देश में अभियोजन के लिये आत्मसमरपण करने या प्रारथी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्तिपर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करती है।
- इस प्रकार की संधियों को आम तौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि के माध्यम से लागू किया जाता है।

भारत में प्रत्यरपण कानून:

- ‘प्रत्यरपण अधिनियम’ (The Extradition Act)- 1962 भारत में प्रत्यरपण के लिये विधियाँ आधार प्रदान करता है।
- प्रत्यरपण अधिनियम-1962 के निम्नानुसार भगोड़े अपराधियों के प्रत्यरपण से संबंधित कानून को मजबूत करना तथा उसमें संशोधन करना और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों से निपटना था।
- जनि देशों के साथ भारत ने प्रत्यरपण संधियों की है, उनके साथ प्रत्यरपण व्यवस्था का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यरपण अधिनियम, 1962 की धारा 3 (4) द्वारा प्रदान किया गया है।
- भारत की वर्तमान में 43 देशों के प्रत्यरपण संधियों 11 देशों के साथ प्रत्यरपण व्यवस्था (Extradition Arrangement) है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ समस्याएँ:

- पुलिसि को अनियंत्रित शक्तियाँ:
 - ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून’ हॉन्गकॉन्ग में होने वाली पृथकतावादी, विधिवंसक या आतंकवादी गतिविधियों या हॉन्गकॉन्ग के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखी जाने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की शक्तिबीजिगि को देता है।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन:
 - कानून के तहत पुलिसि को बनियां वारंट के खोज कार्य करने, इंटरनेट सेवाओं पर आवश्यक प्रतिविधि लगाने जैसे अधिकार दिये गए हैं। इस प्रकार यह कानून मानव अधिकारों, विशेष रूप से भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- लोकतांत्रिक प्रत्यरपण का पालन नहीं:
 - कानून को हॉन्गकॉन्ग के लोगों की सहमति के बिना लागू किया है, अतः यह हॉन्गकॉन्ग विधानसभा की स्वतंत्रता पर हमला करता है।
 - बेसकि लॉ के अनुसार, चीन की सरकार हॉन्गकॉन्ग में तब तक कोई कानून लागू नहीं कर सकती है, जब तक कि वह कानून एनेक्स-III नामक खंड में सूचीबद्ध नहीं किया गया हो। इस प्रकार यह हॉन्गकॉन्ग के ‘बेसकि लॉ’ का भी उल्लंघन करता है।

वैश्वकि प्रत्यक्षिया:

- ऑस्ट्रेलिया:
 - ऑस्ट्रेलिया ने दो से पाँच वर्ष के लिये वीजा विस्तार और स्थायी निवास वीजा के मार्ग की भी घोषणा की है।
 - इससे पूर्व वर्ष 1989 में बीजिगि के तियानमेन स्क्वायर (Beijing's Tiananmen Square) के आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों से हुए खूनी संघरण के बाद चीनी नागरिकों को ‘सेफ हेवन’ (Safe Haven) वीजा प्रदान किया गया था।
 - उस समय ऑस्ट्रेलिया में 27,000 से अधिक चीनी छात्रों को स्थायी रूप से रहने की अनुमतिदी गई थी।
- कनाडा:
 - कनाडा भी हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यरपण संधियों को वापस लेने पर विचार कर रहा है और प्रवास सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है।
- ब्राउन:
 - ब्राउन भी ‘ब्राउनशी नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट’ के लिये पात्र 3 मिलियन हॉन्गकॉन्ग वासियों के लिये रेज़डिंसी अधिकारों का विस्तार कर रहा है।
 - इस पासपोर्ट के तहत नागरिकों को पाँच वर्ष तक यू.के. में रहने और काम करने की अनुमतिमिलती है।

चीन की प्रत्यक्षिया:

- चीन ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है।
- चीन ने यह भी संकेत दिया है कि इस तरह के कदम द्विविधीय आरथिक समझौतों को प्रभावित कर सकते हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों का अरथव्यवस्था पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा मुद्दा और गंभीर हो सकता है।

भारत की प्रत्यक्षिया:

- भारत उम्मीद कर रहा है कि संबंधित पक्ष गंभीरता और निषिकष रूप से चतियों को ठीक से संबोधित करेंगे।
- हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा भारतीय समुदाय निवास करता है, अतः भारत हाल के घटनाक्रमों लगातार निरानी रख रहा है।

आगे की राह:

- विशेषज्ञों के अनुसार कानून को लागू करने से हॉन्गकॉन्ग में व्यापक विशेषज्ञ प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं, ऐसे में चीन की सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हॉन्गकॉन्ग स्थिति से कैसे निपटता है। बेसकि लॉ के तहत इसे दी गई स्वतंत्रता 2047 में समाप्त हो जाएगी और यह स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद हॉन्गकॉन्ग की स्थितिक्रिया होगी।

सरोतः द हंडू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/australia-suspends-extradition-treaty-with-hong-kong>